रजिस्टर्ड/कोर्टकेस/अतिमहत्वपूर्ण/परिपत्र/वेबसाइट

प्रेषक,

निदेशक, मत्स्य,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1– **समस्त उप निदेशक, मत्स्य उत्तर प्रदेश।**

2– **समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

पत्र संख्या– /स्था0शा0/कोर्टकेस/लीगल वेब पोर्टल दिनांक– 01.10., 2020

विषय– **विभागीय वेब पोर्टल http:/fymis.upsdc.gov.in के Legal Monitoring System मॉड्यूल पर वाद सम्बन्धी विवरण/सूचनाओं की प्रविष्टि एवं उन्हे अद्यतन किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयांकित निदेशालय पत्र संख्या–1610/स्था0शा0/कोर्टकेस दिनांक 29.06.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विभागीय वेब पोर्टल (मुख्य यू0आर0एल0–http:/fymis.upsdc.gov.in) के अन्तर्गत विकसित Legal Monitoring System मॉड्यूल पर सम्बन्धित मण्डलीय/जनपदीय कार्यालय द्वारा अपने मण्डल/जनपद से सम्बन्धित विभिन्न वादों की पूर्ण विवरण/सूचना प्रविष्ट करते हुये अग्रेतर आने वाली सूचनाओं को अद्यतन करने एवं उक्त आधार पर मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने का कार्य अभियान चलाकर सुनिश्चित करने सम्बन्धी विस्तृत निर्देश दिये गये थे, ताकि आगामी माह से उक्त Legal Module के माध्यम से मा0 न्यायालयों में लम्बित, निस्तारित एवं प्राप्त होने वाले वादों की सूचना प्राप्त की जा सके एवं अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा सके।

उल्लेखनीय है कि उक्त पत्र दिनांक 29.06.2020 द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नही किया जा रहा है तथा लगभग 03 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त Legal Module पर विभाग के किसी भी मण्डलीय/जनपदीय कार्यालय द्वारा एक भी वाद की प्रविष्टि नही करायी गयी है। इस प्रकार उक्त निर्देशों का समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यालयों द्वारा पूर्ण उपेक्षा की जा रही है, जिसके फलस्वरुप में विभाग से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों में दाखिल होने वाले, विचाराधीन एवं निस्तारित वादों के विभागीय Legal Monitoring System मॉड्यूल के माध्यक से अनुश्रवण के कार्य में अभी तक कोई प्रगति नही हुयी है। यह स्थिति न तो शासकीय/विभागीय हित में उचित है न ही विभाग से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों में योजित वादों के प्रभावी अनुश्रवण, उनके निस्तारण एवं उनमे पारित होने वाले आदेशों के क्रम समयबद्ध कार्यवाही के संदर्भ में उचित है।

अतः उक्त संदर्भ में आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि कृपया निदेशालय के उक्त पत्र दिनांक 29.06.2020 में दिये गये निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर अभियान चला कर अपने मण्डल/ जनपद से सम्बन्धित विभिन्न वादों की प्रश्नगत Legal Module पर प्रविष्टियां पूर्ण कराने, नई सूचनाओं को अद्यतन करने एवं तद्नुसार माड्यूल से रिपोर्ट प्राप्त कर अनुश्रवण की कार्यवाही अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करायें, ताकि उक्त Legal Module के माध्यम से मा0 न्यायालयों में लम्बित, निस्तारित एवं प्राप्त होने वाले वादों की सूचना प्राप्त करते हुये उनके अनुश्रवण, निस्तारण आदि की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा सके।

भवदीय

(एस0के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्र संख्या:– 3707 /स्था0शा0/कोर्ट केस दिनॉक –उक्त।

प्रतिलिपि विशेष सचिव, मत्स्य विभाग, उ0 प्र0 शासन, सचिवालय लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2– उप निदेशक मत्स्य, सहकारिता/सहायक निदेशक मत्स्य (सामान्य शाखा), मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संदर्भ में उपरोक्त पत्र दिनांक 29.06.2020 के अनुपालन में आपके नियंत्रणाधीन शाखा के स्तर से भी एक वाद की भी प्रविष्टि अभी तक नही की गयी है, अतः व्यक्तिगत ध्यान देकर उक्त कार्य को सुनिश्चित करायें।

3– वेब आफिसर, मुख्यालय को इस निर्देश सहित प्रेषित कि विभाग की वेबसाइट पर उक्त पत्र की प्रति अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(एस0के0 सिंह)
निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।